न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 150 / 2007

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 भानाराम पुत्र झाबरराम।
2 बीरबल पुत्र झाबरराम।
3 हरीराम पुत्र झाबरमल
4 गुल्ली बेवा झाबरराम जाति जाट समस्त निवासीगण सींगनोर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy Not Official

1 रामलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी सींगनोर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण।

1/1 रिसाल उम्र 48 वर्ष पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

1/2 श्रीमती कानी उम्र 59 वर्ष पत्नी रामलाल पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

1/3 श्रीमती सेऊ उम्र 54 वर्ष पत्नी लालचन्द मूण्ड पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी घोड़ीवारा खुर्द तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

1/4 श्रीमती गीता उम्र 50 वर्ष पत्नी महेन्द्र मूण्ड पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी घोड़ीवारा खुर्द तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

2 फूलचन्द पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी सीगंनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू

3 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

4 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू जरिये प्रबन्धक।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 11.7.07 प्रकरण संख्या 13/05 उनवानी रामलाल बनाम भानाराम दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. श्री विजयपाल सिंह तृतीय अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिलिप कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री योगेन्द्र अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांक:–06.09.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 13/05 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2007 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रामलाल ने शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 749,750,751,752,756,757, 771 के सन्दर्भ में बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने अपीलांटस के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही कर वाद में विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन प्रकरण में विवादित भूमि के सन्दर्भ में पक्षकारों के मध्य हक हकुक को लेकर कोई विवाद नही है मौके पर दोनो पक्षकारों ने बाहमी विभाजन कर रखा है रास्ता कायम कर रखा है विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने इससे सहमति जाहिर की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांटस को सुने बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। पक्षकारों के मध्य हक हकुक को लेकर कोई विवाद नही है दोनो पक्षकार स्वंय की उपस्थिति मे पुन विभाजन प्रस्ताव तैयार करने पर सहमत है। चूकि दोनों पक्षकार सहमत है अत न्यायाहित में अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को

Lalo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प ...)

इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन विभाजन प्रस्ताव, रास्ते का प्रावधान तैयार कर विधि अनुसार पुन गुणागुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.10.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर